



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1634/Type Approval No.1634

मद/FOR ITEM: "कॉकपिट पेनल फ्लड लाइट" , पार्ट सं. ओएसपीएल-0501/
"Cockpit Panel Flood Light", Part No. OSPL-0501

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ऑप्टोटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, #328 आकाश दीप, इंदिरानगर प्रथम स्टेज, बंगलूरु - 560 038, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा उत्पादित "कॉकपिट पेनल फ्लड लाइट" पार्ट सं. ओएसपीएल-0501 को अभिकल्प दस्तावेज़ (एमडीआई और मेटेरियल्स के बिल) दस्तावेज़ सं.ओएसपीएल/सीपीएफएल/डीडी/01, दस्तावेज़ रिलीज़ -1.0, दिनांक 22/12/2007 और एम डी आई ट्री दस्तावेज़ सं.05010100 इश्यू-1.0 रिविज़न-शून्य दिनांक 22/12/2007 के अनुसार एलसीए (तेजस) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश और क्यूटीपी रिपोर्ट सं. एडीए/एलसीए/सीपीएफएल/01, वर्ज़न - 2.0, दिनांक 04/02/2008 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Cockpit Panel Flood Light" bearing the Part No: OSPL-0501 designed, developed and manufactured by M/s Optotech Systems Pvt Ltd., # 328 Akash Deep, Indiranagar First Stage, Bengaluru - 560 038, is hereby approved for production as per Design Document (MDI & Bill of Materials) DOC No.: OSPL/CPFL/DD/01, DOC Release-1.0, Dt: 22/12/2007 & MDI Tree Document No.05010100 Issue-1.0 Rev-Nil Dt. 22/12/2007, for use on LCA (Tejas). The product has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft) as per Governing Technical Specification & QTP report No. ADA/LCA/CPFL/01, Version-2.0, Dt: 04/02/2008. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है । इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby-superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2015 तक वैध है तथा बशर्त कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । उत्पादन के दिनांक से एलआरयू का लाइफ 03 सालों तक सीमित किया जाता है या 1000 फ्लाइटिंग अवर्स जो पहले है । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), बेंगलूरु - 560 037 से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2015 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The life of the LRU is restricted to three Years from the date of manufacture or 1000 flying hours whichever is earlier. The vendor shall request RCMA (Aircraft), Bengaluru-560 037, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अधिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है ।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1634

दिनांक/Date : 07 Jan 2011

फेक्स सं/fax No: 080-25230856


(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)